



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक :

अध्यक्ष / 2015

क्र.गो. 2582-POM-15

जिला धार

14

टी.टी. गुप्ता (एस.)
तारीख आज 18.11.8.15

11.8.15

11.8.15

- 1 आनंदीबाई पत्नी स्व. श्री मोहनलाल, जाति-कुलमी, निवासी-ग्राम खिलेड़ी, तहसील बदनावर, जिला धार,
- 2 रेखाबाई पत्नी श्री अमृतलाल पुत्री मोहनलाल, जाति-कुलमी, निवासी-ग्राम खिलेड़ी, हाल मुकाम ग्राम धमंदा, जिला धार,
- 3 अनुराधा पत्नी परमानंद पुत्री मोहनलाल, जाति-कुलमी, निवासी-ग्राम खिलेड़ी, हाल मुकाम ग्राम खाचरौदा, तहसील बदनावर, जिला धार,

--प्रार्थीगण

विरुद्ध

- 1 विष्णुबाई पत्नी स्व. बाबूलाल, जाति कुलमी, निवासी-ग्राम खिलेड़ी, तहसील बदनावर, जिला धार,
- 2 दीपक पुत्र बाबूलाल, जाति कुलमी, निवासी-ग्राम खिलेड़ी, तहसील बदनावर, जिला धार,

-----प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र निगरानी विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, तहसील बदनावर, जिला धार के प्रकरण क्रमांक 12/2010-11/अ-6/पारित आदेश दिनांक 18/06/2015 अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-



1. यह कि, विचारण न्यायालय का आदेश संहिता में विहित नामांतरण के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2582-पीबीआर/15

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह राठौर, अभिभाषक एवं अनावेदक पक्ष की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-4-2019 को उपस्थित हों । अनावेदक सूचित हों।</p> <p> सूचित</p>	<p> अध्यक्ष</p>